न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 32/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. पुखराज पुत्र धुलाराम जाति सरगर निवासी बांझाकुडी तहसील जैतारण	1.	राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 23/8/18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 140/2006 पुखराज बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बांझाकुडी के खसरा नम्बर 885 रकबा 13 बीघा भूमि पर अपीलाण्ट का पुश्तैनी कब्जा काश्त है। उक्त भूमि पर पूर्व में अपीलाण्ट के दादा का कब्जा काश्त था, उसके बाद अपीलाण्ट के पिता का कब्जा काश्त था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से ही अपीलाण्ट्स के पूर्वजों का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। तब से अपीलाण्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा अपील संख्या 213/69 में पारित निर्णय दिनांक 01.09.1970 के जरिये आदेश पारित कर अपीलाण्ट के पक्ष में नियमन करने के आदेश दिए। उक्त पश्चात पत्रावली तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.04.1995 को नियमन की सिफारिश सहित उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की गई, किन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियमन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। इसके पश्चात राजस्व कार्मिक अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देने लगे। जबकि उक्त भूमि पर पुराना कब्जा काश्त होने के कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपीलाण्ट उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार हो चुके थे। इस अनुरूप खातेदारी अधिकार प्रदान कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को नजरअन्दाज करते हुए समस्त तनकीयात विनिश्चित किए बिना ही जैर अपील निर्णय के जरिये अपीलाण्ट का वाद खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं साक्ष्यों को नहीं मानते हुए विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि पर स्वयं का प्रतिकूल कब्जा होना बताते हुए खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा था। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 1 में दर्ज होकर सरकारी भूमि है। अपीलाण्ट का तथाकथित कब्जा मात्र अतिक्रमण है, जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जुर्माना अधिरोपित किया जाता है तथा आदेश बेदखली पारित किए जाते है। इस कारण अपीलाण्ट किसी भी रूप में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के जरिए अपीलाण्ट का वाद खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर वादी वाद प्रस्तुत कर ग्राम बांझाकुडी के खसरा नम्बर 885 रकबा 13 बीघा की भूमि की प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया तथा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में अनुतोष सहित कुल 4 तनकीयात कायम की। अपीलाण्ट द्वारा उक्त तनकीयात को अपने पक्ष में साबित करने हेतु मुख्य परीक्षण में स्वयं पुखराज, गवाह बगदाराम, गवाह मोहनलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किए, किन्तु उक्त गवाह परीक्षित नहीं हुए। इनके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अपने वाद के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित ही नहीं करवाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्यों एवं रेकर्ड के आधार पर विनिश्चय अंकित करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट के वाद का मुख्य आधार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाना था। अब प्रकरण में यह विधिक प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष दिया जाना न्यायोचित है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 721 जगदीश व अन्य बनाम सीताराम व अन्य में यह प्रतिपादित किया है कि "राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

काश्तकारी अधिनियम 1955 – धारा 232 – परिसीमा अधिनियम 1963 अनुच्छेद 64 व 65, रेफरेन्स–. खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार पर प्रदान किये जा सकते हैं – काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मामलों में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं – प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते – नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0एल0सी0 (एच.सी.) सिविल पेज 32 स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम मुकेश कुमार व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " प्रतिकूल कब्जा –विधि सुधार– प्रतिकूल कब्जे की विधि पर नया दृष्टिकोण अपनाये जाने की अत्यावश्यकता की दृष्टि से संसद या तो इस विधि को समाप्त कर दे अथवा इसमें संशोधन करें। तथ्यों के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के दावे को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना मान्य रहा।" इसी प्रकार आर0जे0टी0 2011 (1) पेज 468 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " प्रतिकूल कब्जा – केवल कब्जा कितना ही लम्बा हो, का तात्पर्य नहीं है कि वास्तविक मालिक के यह प्रतिकूल है – कब्जा प्रतिकूल एवं विवृत हेना चाहिये। प्रकिूल कब्जा साबित करने में अपीलाण्ट असफल रहा। न तो आशमित विक्रय पत्र, न विक्रय करार रेकॉर्ड पर पेश किया। प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वत्व साबित नहीं किया।" इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0एल0सी0 2009 (1) पेज 69 में प्रतिकूल कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्धारित किया कि "प्रतिकूल कब्जे की विधि का दोष–प्रतिकूल कब्जे का न अभिवचन और न उसकी साक्ष्य–ऐसी परिस्थिति में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर डिक्री त्रुटीपूर्ण–प्रतिकूल कब्जे की विधि बेईमानी का पुरस्कार है।" उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधिक दृष्टिकोण से त्रुटीपूर्ण है। उपरोक्त अवधारणाओं को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 140/2006 पुखराज बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 23.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली